

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

एल0ए0 संख्या 50 / 2018-19 / 205 / भू0अ0, साहेबगंज दिनांक - 09.8.18

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि मौजा - वागजोरी, थाना सं0 - 16, थाना - तालझारी, अंचल - तालझारी, जिला - साहेबगंज में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना महाराजपुर-तालझारी-कल्याणचक-पड़रिया मोड़ तीनपहाड़ आर0ओ0बी0-बाकुडीह-शर्मापुर मोड़ पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि मौजा - वागजोरी, थाना सं0 - 16, थाना - तालझारी, अंचल - तालझारी, जिला - साहेबगंज में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमावेश 0.785 एकड़ यानि -----x---- हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखण्ड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11	203	रैयती	धानी औवल	0.022	सिमोन हाँसदा वगैरह पिता - वरेनवरनावास हाँसदा वगैरह वो अब्राहम हेम्ब्रम वगैरह पिता - सामसुन हेम्ब्रम वगैरह सा0 - वागजोरी	शिवाना नवघटा	सड़क	नीज	सड़क
2	11	209	रैयती	धानी औवल	0.005	तथैव	नीज	सड़क	नीज	सड़क
3	11	196	रैयती	धानी औवल	0.047	तथैव	रास्ता	नीज	सड़क	नीज
4	11	232	रैयती	धानी शोएम	0.001	तथैव	नीज	सड़क	P-235	रेलवे
5	11	235	रैयती	धानी दोएम	0.034	तथैव	नीज	सड़क	सिवाना दुधकोल	P-232
6	11	144	रैयती	धानी दोएम	0.041	तथैव	रेलवे	P-146	सड़क	नीज
7	11	107	रैयती	वाडी दोएम	0.003	तथैव	सड़क	नीज	रेलवे	P-108
8	16	204	रैयती	धानी औवल	0.036	भागमत हेम्ब्रम वगैरह पिता- रामदयाल हेम्ब्रम वगैरह सा0 - वागजोरी	नीज	सड़क	नीज	सड़क
9	16	208	रैयती	धानी औवल	0.037	तथैव	नीज	सड़क	नीज	सड़क
10	16	197	रैयती	धानी औवल	0.024	तथैव	सड़क	नीज	सड़क	नीज
11	16	146	रैयती	धानी शोएम	0.007	तथैव	रेलवे	नीज	सड़क	नीज
12	16	114	रैयती	वाडी औवल	0.001	तथैव	सड़क	नीज	P-113	P-120
13	16	113	रैयती	धानी शोएम	0.025	तथैव	सड़क	नीज	P-112	P-114
14	16	112	रैयती	धानी शोएम	0.011	तथैव	सड़क	नीज	P-111	P-113
15	9	205	रैयती	धानी औवल	0.027	सुभाष सोरेन वगैरह पिता - तिमोची सोरेन सा0 - वागजोरी	नीज	सड़क	नीज	सड़क
16	9	199	रैयती	धानी औवल	0.033	तथैव	सड़क	नीज	सड़क	नीज
17	18	206	रैयती	धानी औवल	0.051	प्रधान सोरेन वगैरह पिता - चुनु सोरेन वगैरह सा0 - वागजोरी	नीज	सड़क	नीज	सड़क
18	18	200	रैयती	धानी औवल	0.062	तथैव	सड़क	नीज	सड़क	नीज
19	18	125	रैयती	वाडी औवल	0.010	तथैव	सड़क	नीज	P-121	रास्ता
20	18	121	रैयती	वाडी दोएम	0.016	तथैव	सड़क	नीज	P-120	P-125

21	12	207	रैयती	धानी औवल	0.041	भागमत टुडू वगैरह पिता - करण टुडू वगैरह सा0 - वागजोरी	नीज	सड़क	नीज	सड़क
22	12	201	रैयती	धानी औवल	0.040	तथैव	सड़क	नीज	सड़क	नीज
23	12	111	रैयती	धानी शोएम	0.004	तथैव	सड़क	नीज	P-107	P-112
24	8	143	रैयती	धानी दोएम	0.042	मंगल हाँसदा वगैरह पिता - नटवा हाँसदा वगैरह सा0 - वागजोरी	रेलवे	सड़क	नीज	सड़क
25	8	138	रैयती	धानी शोएम	0.014	तथैव	सड़क	नीज	P-139	P-137
26	20	142	रैयती	धानी दोएम	0.057	धानो सोरेन गोड़ाहर्त पिता - चन्दराय सोरेन सा0 - वागजोरी	रेलवे	सड़क	नीज	सड़क
27	7	137	रैयती	धानी शोएम	0.033	भागमत सोरेन वगैरह पिता - भगन सोरेन सा0 - वागजोरी	सड़क	नीज	P-138	P-146
28	15	139	रैयती	धानी शोएम	0.012	रायसेन हाँसदा वो दुगेन हाँसदा पिता - धानो हाँसदा सा0 - वागजोरी	सड़क	नीज	P-132	P-138
29	15	132	रैयती	धानी शोएम	0.018	तथैव	सड़क	नीज	रास्ता	नीज
30	17	108	रैयती	वाडी दोएम	0.031	शिरू मुर्मू वगैरह पिता - शिखर मुर्मू वगैरह सा0 - वागजोरी	सड़क	नीज	P-107	P-111
कुल रकवा -					0.785					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

8/8/18
उपायुक्त,
साहेबगंज।